पत्र संख्या-6 एस०एस०(6)35/2025- 2561/

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

"शुद्धि पत्र"

विभागीय राज्यादेश संख्या–2415, दिनांक–02.06.2025 में "प्रस्तावित योजना के तहत 3 प्रतिशत राशि निदेशक, गव्य इसके प्रचार–प्रसार के लिए कर्णांकित कराना सुनिश्चित करेंगे। पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं होने पर अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि प्राप्त कर इसके तहत व्यय कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे" जोड़ा जाता है। शेष यथावत रहेंगे।

10/6/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2025– 2561 /पटना–15, दिनांक– 10/06/2025.

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2025– 2561 /पटना–15, दिनांक– 10/06/2025.

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2025– 2561 /पटना–15, दिनांक– 10/06/2025.

प्रतिलिपिः– निदेशक, गव्य, बिहार, पटना/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2025– 2561 /पटना–15, दिनांक– 10/06/2025.

प्रतिलिपिः– गव्य निदेशालय के बजट शाखा/ योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2025– 2561 /पटना–15, दिनांक– 10/06/2025.

प्रतिलिपिः– मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

10/6/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2025– 2561 /पटना–15, दिनांक– 10/06/2025.

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/6/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2025– 2561 /पटना–15, दिनांक– 10/06/2025.

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

10/6/25
सरकार के अपर सचिव

पत्र सं०-6 एस०एस०(6)35/2025- 2415/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से.
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-02/06/2025.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :- **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :- **राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रुपये 1496.77 लाख (रुपये चौदह करोड़ छियानवे लाख सतहत्तर हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर समग्र भैंस पालन योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 01 एवं 02 उन्नत नस्ल के दुधारू भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान व्यय करने की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रुपये 1496.77 लाख (रुपये चौदह करोड़ छियानवे लाख सतहत्तर हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर समग्र भैंस पालन योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 01 एवं 02 उन्नत नस्ल के दुधारू भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रुपये 1496.77 लाख (रूपये चौदह करोड़ छियानवे लाख सतहत्तर हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में ''समग्र भैंस पालन योजना'' के तहत राज्य के सभी वर्गो के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 01 एवं 02 उन्नत नस्ल के दुधारू भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना पर सब्सिडी के रूप में अनुदान व्यय किये जायेंगे।
3. योजना के तहत चयनित लाभूकों द्वारा उन्नत नस्ल के दुधारू भैंस यथा मुर्राह, भदावरी एवं जाफराबादी का क्रय, अधिकृत पशु आपूर्तिकर्त्ता/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी सर्विस द्वारा राज्य के बाहर से लाये गये उन्नत नस्ल के दुधारू भैंस में से, गठित क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। पशुपालक राज्य के बाहर से भी उक्त उन्नत नस्ल के दुधारू भैंस का क्रय कर सकते हैं।
4. दुधारू भैंस का क्रय, क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। स्वलागत की स्थिति में बैंक के प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि को छोड़कर क्रय समिति में जिला गव्य विकास

पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, संबंधित जिला के पशु चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे।

5. योजना अंतर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी सब्सिडी का भुगतान परियोजना शर्त्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभूकों को स्वयं करना होगा। लाभूकों द्वारा किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत आंशिक रूप में किये जाने की स्थिति में सब्सिडी का भुगतान भी अनुपातिक रूप से किया जायेगा। साथ ही सब्सिडी का वितरण ठंबा मदकमक होगी एवं पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

6. स्वालगत के लाभूकों द्वारा योजना स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर तथा बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् लाभूकों को मवेशी क्रय/Asset creation के बाद निर्धारित नियम के अनुसार सब्सिडी की राशि विमुक्त करने हेतु दावा विपत्रा आवेदक के ऋण खाता संख्या एवं उसके खाते में Disburse की गई राशि अंकित करते हुए संबंधित जिला के क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित जिले के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाण–पत्रा अंकित करते हुए सब्सिडी विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी। इस योजना में लाभूकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

7. इस योजना के तहत निर्धारित सब्सिडी लाभूकों को दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभूक बैंक से ऋण ले अथवा स्वलागत से क्रय करे। स्वलागत से डेयरी इकाई की स्थापना करने वाले लाभूकों को योजना लागत की पूर्ण राशि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन (Asset creation) के पश्चात् ही सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जायेगा। पशु क्रय के पश्चात लाभूक एवं क्रय समिति के सदस्यों का एक संयुक्त फोटाग्राफी किया जायेगा। दुधारू भैंस के क्रय के समय मवेशी का डाटा ईयर टैग निश्चित रूप से लगाना होगा। पशु क्रय के समय दुधारू मवेशी का Geo टैगिंग कराना अनिवार्य है साथ ही जिला गव्य विकास पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्रा देना होगा कि मवेशी में ईयर टैग लगा दिया गया है।

8. स्वलागत में उन्नत नस्ल के दुधारू भैंस का क्रय एक ही बार अथवा फेजबार करने के लिए लाभूक स्वयं स्वतंत्रा होंगे। साथ ही साथ बैंक से स्वीकृत योजना में भी लाभूकों को स्वतंत्रा अधिकार होगा कि वे एकबार में पूरी योजना का लाभ लेंगे अथवा किस्तवार।

9. इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी वर्गो के कृषकों/पशुपालकों/ बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वरोजगार का अतिरिक्त अवसर सृजित कर विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा 01 एवं 02 उन्नत नस्ल के दुधारू भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। प्रस्तावित योजना के तहत लाभूकों के चयन में विभाग द्वारा प्रशिक्षित आवेदकों, दुग्ध सहकारिता समिति के सदस्यों एवं जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

10. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जिस हेतु कुल 1545 डेरी इकाई स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा उन्नत नस्ल के दुधारू भैंस की स्थापना

हेतु अपना आवेदन गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट पोर्टल पर ऑनलाईन भरे जायेंगे।

11. योजना अन्तर्गत 01 एवं 02 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई हेतु प्राप्त आवेदनों का स्क्रीनिंग जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति के समक्ष किया जायेगा, जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :-

(i) संबंधित जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी – सदस्य सचिव

(ii) उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी – सदस्य

12. स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक के साक्षात्कार में ऋण स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का यह दायित्त्व होगा कि अनुशंसित आवेदनों पर एक माह के अन्दर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक तथा जिला गव्य विकास कार्यालय को सूची के साथ सूचना उपलब्ध करायेंगे।

13. योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

14. प्रस्तावित योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी सभी संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित एवं सम्बद्ध जिला हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप की जायेगी तथा निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

15. प्रस्तावित योजना अंतर्गत राशि की निकासी संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुरूप आवंटित राशि के विरूद्ध जिला गव्य विकास कार्यालय सम्बद्ध जिला कोषागार से किया जायेगा।

16. प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन अनुपूरक आगणन से प्राप्त बजट उपबंधित राशि अन्तर्गत कोषागार से लक्ष्य अनुरूप स्वीकृत राशि की निकासी कर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी सभी संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

17. बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता –

(i) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेयरी विकास परियोजना, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्रा कोड– 02–2404001020115 के तहत विषय शीर्ष–0115.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से की जायेगी।

(ii) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनु० जाति के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0101 –ग्रामीण

डेरी रोजगार योजनाऐं, विपत्रा कोड 02–2404007890101 के तहत विषय शीर्ष–0101.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से की जायेगी।

(iii) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजाति क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0101 –प्रशिक्षण एवं विस्तार, विपत्र कोड 02–2404007960101 के तहत विषय शीर्ष–0101.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से की जायेगी।

18. योजना का कार्यान्वयन उक्त तीनों विपत्र कोड/उप शीर्षो में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में अतिरिक्त योजना उद्व्यय प्राप्त होने पर अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध कर उक्त बजट उपबंधित राशि अंतर्गत व्यय किया जायेगा।

19. दिनांक–22.05.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस० (6)35/2025 के पृष्ठ 12–11/प०.

20. चुँकि यह योजना राज्य योजना के तहत एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)35/2025 के पृष्ठ–09/टि० दिनांक–27.05.2025.

21. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)35/2025 के पृष्ठ–10/टि० तथा डायरी सं०–272, दिनांक–28.05.2025.

22. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

30/5/25

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)35/2025– 2415/पटना–15, दिनांक–02/06/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)35/2025–2415/पटना–15, दिनांक–02/06/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)35/2025–2415/पटना–15, दिनांक–02/06/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, गव्य, बिहार, पटना/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)35/2025–2415/पटना–15, दिनांक–02/06/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)35/2025–2415/पटना–15, दिनांक–02/06/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

30/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)35/2025–2415/पटना–15, दिनांक–02/06/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)35/2025–2415/पटना–15, दिनांक–......../......./2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

30/5/25

सरकार के अपर सचिव

गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ''समग्र भैंस पालन योजना (01 एवं 02 भैंस) के कार्यान्वयन पर अनुदान के रूप में होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी''

(रू0 लाख में)

क्र0	घटक	प्रति इकाई परियोजना लागत व्यय	भौतिक लक्ष्य	राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान का स्वरूप	राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान की राशि	लाभान्वितों का अंशदान	बैंक द्वारा ऋण की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1..	उन्नत नस्ल के 01 (एक) दुधारू भैंस (मुर्राह/जाफराबादी/भदावरी) की डेयरी इकाई की स्थापना	₹1,21,000/-	590 इकाई	सभी वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50%	356.950	कुल परियोजना लागत व्यय का 10%	कुल परियोजना लागत व्यय का 90%
			127 इकाई	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	115.252	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 95%
			169 इकाई	अनुसूचित जाति के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	153.367	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 95%
			80 इकाई	अनुसूचित जन जाति के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	72.600	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 95%
2.	उन्नत नस्ल के 02 (दो) दुधारू भैंस (मुर्राह/जाफराबादी/भदावरी) की डेयरी इकाई की स्थापना	₹2,42,000/-	417 इकाई	सभी वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50%	504.57	कुल परियोजना लागत व्यय का 10%	कुल परियोजना लागत व्यय का 90%
			70 इकाई	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	127.05	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 95%
			92 इकाई	अनुसूचित जाति के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	166.98	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 95%
नोट :– विभिन्न घटकों में निर्धारित भौतिक लक्ष्य में माँग के अनुसार विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किया जा सकेगा।							
कुल योग			1545 इकाई		1496.77		

(रूपये चौदह करोड़ छियानवे लाख सतहत्तर हजार) मात्र

2415
02/06/25

30/5/25

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत समग्र भैंस पालन योजना पर विपत्र कोटिवार बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध व्यय की जाने वाली राशि का व्यय विवरणीः–

क्रमांक	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	बजट उपबंधित व्यय की जाने वाली राशि (रू0 लाख में)
1	02–2404001020115 (सामान्य)	0115.33.01	1103.82
2	02–2404007890101 (अनुसूचित जाति)	0101.33.01	320.35
3	02–2404007960101 (अनुसूचित जनजाति)	0101.33.01	72.60
		योग :–	**1496.77**

(रुपये चौदह करोड़ छियानवे लाख सतहत्तर हजार) मात्र

2415
02/06/25

30/5/25

सरकार के अपर सचिव

(क) वित्तीय वर्ष 2025–26 में समग्र भैंस पालन योजना अन्तर्गत सभी वर्ग के लिए 50% अनुदान तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 75% अनुदान पर 01 एवं 02 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई के स्थापना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :–

क्र0	जिला	01 भैंस				02 भैंस				कुल	
		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	16	968000	3	272250	12	1452000	2	363000	33	3055250
2	रोहतास	16	968000	3	272250	10	1210000	2	363000	31	2813250
3	कैमूर	16	968000	3	272250	12	1452000	2	363000	33	3055250
4	अररिया	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
5	अरवल	13	786500	3	272250	10	1210000	1	181500	27	2450250
6	जहानाबाद	14	847000	3	272250	10	1210000	1	181500	28	2510750
7	बांका	14	847000	3	272250	10	1210000	2	363000	29	2692250
8	भागलपुर	15	907500	3	272250	12	1452000	2	363000	32	2994750
9	गोपालगंज	14	847000	3	272250	10	1210000	2	363000	29	2692250
10	पूर्वी चम्पारण	14	847000	3	272250	10	1210000	2	363000	29	2692250
11	प० चम्पारण	25	1512500	7	635250	20	2420000	2	363000	54	4930750
12	जमुई	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
13	किशनगंज	14	847000	3	272250	10	1210000	2	363000	29	2692250
14	कटिहार	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
15	लखीसराय	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
16	बेगूसराय	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
17	मधुबनी	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
18	दरभंगा	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
19	समस्तीपुर	15	907500	4	363000	10	1210000	2	363000	31	2843500
20	मधेपुरा	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
21	सहरसा	14	847000	3	272250	10	1210000	2	363000	29	2692250
22	मुगेर	15	907500	3	272250	10	1210000	1	181500	29	2571250
23	खगड़िया	14	847000	3	272250	10	1210000	1	181500	28	2510750
24	नालन्दा	25	1512500	7	635250	20	2420000	2	363000	54	4930750
25	नवादा	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
26	गया	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
27	पूर्णिया	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
28	पटना	25	1512500	7	635250	20	2420000	2	363000	54	4930750
29	भोजपुर	15	907500	3	272250	11	1331000	2	363000	31	2873750
30	बक्सर	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
31	शेखपुरा	13	786500	3	272250	10	1210000	1	181500	27	2450250
32	सीतामढ़ी	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
33	शिवहर	13	786500	3	272250	10	1210000	1	181500	27	2450250
34	मुजफ्फरपुर	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
35	सुपौल	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
36	सारण	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
37	वैशाली	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
38	सीवान	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
कुल		590	35695000	127	11525250	417	50457000	70	12705000	1204	110382250

(रूपये ग्यारह करोड़ तीन लाख बेरासी हजार दो सौ पचास) मात्र

2415
02/06/25

30/5/25

सरकार के अपर सचिव

(ख) वित्तीय वर्ष 2025–26 में समग्र भैंस पालन योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 75 % अनुदान पर 01 एवं 02 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :–

क्रमांक	जिला	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति		कुल	
		01 भैंस		02 भैंस		01 भैंस			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	5	453750	4	726000	0	0	9	1179750
2	रोहतास	5	453750	2	363000	4	363000	11	1179750
3	कैमूर	4	363000	4	726000	4	363000	12	1452000
4	अररिया	5	453750	2	363000	4	363000	11	1179750
5	अरवल	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
6	जहानाबाद	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
7	बांका	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
8	भागलपुर	4	363000	4	726000	6	544500	14	1633500
9	गोपालगंज	4	363000	2	363000	3	272250	9	998250
10	पूर्वी चम्पारण	4	363000	4	726000	0	0	8	1089000
11	पश्चिम चम्पारण	7	635250	4	726000	6	544500	17	1905750
12	जमुई	4	363000	2	363000	5	453750	11	1179750
13	किशनगंज	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
14	कटिहार	4	363000	2	363000	5	453750	11	1179750
15	लखीसराय	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
16	बेगूसराय	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
17	मधुबनी	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
18	दरभंगा	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
19	समस्तीपुर	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
20	मधेपुरा	4	363000	3	544500	4	363000	11	1270500
21	सहरसा	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
22	मुंगेर	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
23	खगड़िया	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
24	नालन्दा	8	726000	4	726000	0	0	12	1452000
25	नवादा	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
26	गया	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
27	पूर्णिया	5	453750	2	363000	4	363000	11	1179750
28	पटना	8	726000	4	726000	0	0	12	1452000
29	भोजपुर	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
30	बक्सर	4	363000	2	363000	3	272250	9	998250
31	शेखपुरा	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
32	सीतामढ़ी	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
33	शिवहर	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
34	मुजफ्फरपुर	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
35	सुपौल	4	363000	3	544500	4	363000	11	1270500
36	सारण	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
37	वैशाली	5	453750	2	363000	0	0	7	816750
38	सीवान	5	453750	2	363000	4	363000	11	1179750
	कुल	**169**	**15336750**	**92**	**16698000**	**80**	**7260000**	**341**	**39294750**

(रूपये तीन करोड़ बेरानवे लाख चौरानवे हजार सात सौ पचास) मात्र

2415
02/06/25

30/5/25

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2025–26 में समग्र भैंस पालन योजना के लिए योजना की रूप रेखा

01 भैंस

(I) पूँजीगत खर्च :–

1.	भैंस–01	2000–2400 लीटर दूध देने की क्षमता) (1 X 1,00,000) परिवहन सहित।	100000.00
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से रू0 2,00,000/– X 6%	6000.00
3.	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		15000.00
	कुल राशि (रू0) –		121000.00

(रूपये एक लाख इक्कीस हजार) मात्र

(II) एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखा:–

क्र0	विवरण	अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनु0 जाति/जनजाति	शेष वर्ग के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय –	रू0 1,21,000/–	रू0 1,21,000/–
2.	लाभूक का अंशदान –	रू0 6,050/– (5%)	रू0 12,100/– (10%)
3	बैंक ऋण –	रू0 1,14,950/– (95%)	रू0 1,08,900/– (90%)
4	राज्य सरकार द्वारा अनुदान –	रू0 90,750/– (75%)	रू0 60,500/– (50%)

02 भैंस

1.	भैंस–02	2000–2400 लीटर दूध देने की क्षमता) (2 X 1,00,000) परिवहन सहित।	200000.00
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से रू0 2,00,000/– X 6%	12000.00
3.	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		30000.00
	कुल राशि (रू0) –		242000.00

(रूपये दो लाख बयालीस हजार) मात्र

(II) एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखा:–

क्र0	विवरण	अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनु0 जाति/जनजाति	शेष वर्ग के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय –	रू0 2,42,000/–	रू0 2,42,000/–
2.	लाभूक का अंशदान –	रू0 12,100/– (5%)	रू0 24,200/– (10%)
3	बैंक ऋण –	रू0 2,29,900/– (95%)	रू0 2,17,800/– (90%)
4	राज्य सरकार द्वारा अनुदान –	रू0 1,81,500/– (75%)	रू0 1,21,000/– (50%)

2415
02/06/25

30/5/25

सरकार के अपर सचिव